समाचार.प्रकाषनार्थरू.

कस्तुरबा नगर गली नम्बर 7 से हटाया अतिक्रमण

रतलाम 16 फरवरी । कस्तुरबा नगर गली नम्बर 7 की सड़क के दोनो ओर क्षेत्रिय रहवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देषानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए एसडीएमए श्री राजेष षुक्लाए सीएसपी श्री हेमन्त चौहान के निर्देषन में जेसीबीए डम्परए टे्रक्टरए गैंग के द्वारा हटाया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कस्तुरबा नगर गली नम्बर 7 की सड़क जिसकी चौड़ाई 60 फीट थी क्षेत्रिय रहवासियों द्वारा सड़क के दोनो ओर से अतिक्रमण कर सड़क की चौड़ाई को 22 फीट तक सीमित कर दिया था। माननीय उच्च न्यायालय उचित कार्यवाही के निर्देष प्राप्त होने पर नगर निगम 15 दिवस पूर्व चूने की लाईन डालकर क्षेत्रय रहवासियों को अपने अतिक्रमण स्वंय हटाने के निर्देष दिये गये थे। 15 फरवरी तक 70 से 80 प्रतिषत नागरिकों द्वारा अपने अतिक्रमण स्वंय हटा लिये गये थे षेश अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु जिलाए पुलिस व नगर निगम प्रषासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री ष्याम सोनी सहित पुलिस व नगर निगम प्रषासन का अमला उपस्थित था।

5 सफाई मित्रों का 1 दिवस व 1 का आधे दिवस का वेतन काटा

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 16 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके

तहत प्रातः 5 व दोपहर में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

16 फरवरी बुधवार को वार्डो मंे सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 2 में सरस्वती पति धनराजए रमेष.मुंषीए संजय बच्चुए झोन क्रमांक 3 में किरणबाई पति आनन्दए झोन क्रमांक 4 में रमेष.बाबुलाल इस तरह 5 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा दोपहर की उपस्थिति के दौरान झोन क्रमांक 4 में संजय.बच्चु द्वारा अनुपस्थित पाये जाने पर आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तध्निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्तध्निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम के विभिन्न करों से 3ण्79 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 16 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास षाखाए बिल्डिंग परमिषन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 16 फरवरी बुधवार को कुल राषि रूपये 3ए79ए150ध्. का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 16 फरवरी बुधवार को संपत्तिकर षिविर से 121811ीए वसूली दल 204169 कुल 325980ए जलकर षिविर 53170 इस तरह कुल राषि रूपये 3ए79ए150ध्. का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

खुले में गंदगी करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

11ए300६ की राषि वसूली

रतलाम 14 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 16 फरवरी को 4 व्यक्तियों पर जुर्माना कर 11ए300६ की राषि वसूली।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गंदगी करने पर रवि सूर्यवंषी दिलीप नगरए न्यू संतोश स्वीट्स कस्तुरबा नगर पर 5000.5000ए दीपक बैरागी महालक्ष्मी नगर पर 1000 व कमरून्निसा दिलीप नगर पर 300 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

चौमुखी पुल पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 76ण्23 लाख व जलकर 18ण्61 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 16 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822६ व जलकर 54ए850६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575६ व जलकर 34ए520६ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013६ व जलकर 63ए450६ए विनोबा नगर

षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292ध् व जलकर 1ए19ए720ध्ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857ध् व जलकर 62ए950ध्ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977ध् व जलकर 28ए870ध्ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000ध् व जलकर 14ए000ध्ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600ध् व जलकर 1ए04ए640ध्ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206ध् व जलकर 1ए21ए090ध्ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000ध् व जलकर 47ए000ध्ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422ध् व जलकर 83ए700ध्ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500ध् व जलकर 27ए540ध्ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281ध् व जलकर 40ए240ध्ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000ध् व जलकर 31ए760ध्ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077ध् व जलकर 72ए440ध्ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534ध् व जलकर 37ए465ध्ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732ध् व जलकर 36ए660ध्ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455ध् व जलकर 92ए125ध्ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298ध् व जलकर 64ए770ध्ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241ध् व जलकर 28ए140ध्ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920ध् व जलकर 1ए56ए600ध्ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338ध् व जलकर 1ए67ए280ध्ए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541ध् व जलकर 76ए625ध्ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807ध् व जलकर 37ए520ध्ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836ध् व जलकर 72ए860ध्ए महावीर नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए741ध् व जलकर 37ए140ध् पैलेस रोड षिविर में संपत्तिकर 2ए81ए036ध् व जलकर 89ए570ध्ए चौगानिया भैरू मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 91ए157ध् व जलकर 46ए510ध्ए सायर चबुतरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए036ध् व जलकर 1ए05ए060ध् की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी

तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

16 फरवरी को 77 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 16 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 16 फरवरी बुधवार को 77 टन कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

16 फरवरी बुधवार को डम्पर से 30065ए टेªक्टर से 7855ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 15885ए काम्पेक्टर गीला कचरा 17750ए मैजिक सूखा 2665 व मैजिक गीला 2780 किलो इस तरह कुल 77000 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

28 फरवरी तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम 16 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा।

इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 16 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध् तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 196ृ हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 16 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।
नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 16 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में

जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 16 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जणसंणविणध्हेमन्तध्16ण02ण2022ध्नणपाणनिगमए रतलामण